संख्या-60/2022/1189/छप्पन-2022-56-1099-189-2019

प्रेषक,

डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक 26 जुलाई, 2022

विषयः-आगरा एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था एवं यात्री सुविधाओं के उद्देश्य से visitor shed के निर्माण हेतु चिन्हित रक्षा विभाग की भूमि हेतु लीज रेन्ट के भुगतान हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-97/आर0सी0एस0-2022-ए-4/2019 दिनांक 19 जुलाई, 2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आगरा एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था एवं यात्री सुविधाओं के उद्देश्य से visitor shed के निर्माण हेतु रक्षा भूमि का उपयोग करने के लिए वार्षिक लीज रेन्ट का भुगतान DEO (डिफेन्स इस्टेट ऑफिसर), आगरा को किए जाने हेतु रू0 14,69,953/- (रूपए चौदह लाख उनहत्तर हजार नौ सौ तिरपन मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जिलाधिकारी, आगरा के निवर्तन हेतु जारी करने तथा ऑनलाइन बजट एलाटमेंट सिस्टम के माध्यम से बजट भी आवंटित किए जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल चालू वित्तीय वर्ष-2022-23 में आर0सी0एस0 स्कीम में चयनित आगरा एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था एवं यात्री सुविधाओं के उद्देश्य से visitor shed का निर्माण हेतु रक्षा भूमि का उपयोग करने के लिए रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित वार्षिक पट्टा किराया DEO (डिफेन्स स्टेट ऑफिसर) को धनराशि रू0 14,69,953/- का भुगतान किए जाने की सहर्ष स्वीकृत निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

I. उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण एवं व्यय में सम्बन्धित पक्षों द्वारा वित्तीय नियमों/आदेशों/प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

II. धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा।

III. स्वीकृत धनराशि व्यय किए जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 07 जून, 2022 द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

IV. आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथा समय शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

V. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जाएगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है ।

2/--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

VI. निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जाएगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकता अनुसार एवं नियमानुसार किया जाएगा।

3- निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा स्वीकृत धनराशि रू0 14,69,953/- (रूपए चौदह लाख उनहत्तर हजार नौ सौ तिरपन मात्र) तत्काल आवंटित कर जिलाधिकारी, आगरा के निर्वतन पर रखी जाएगी और जिलाधिकारी, आगरा द्वारा यथा आवश्यकता सम्बन्धित पक्षों को नियमानुसार भुगतान किया जाएगा।

4- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुदान संख्या-38 पूँजी लेखा-लेखाशीर्ष "5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-20-हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन-60-भूमि क्रय" से वहन किया जाएगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2021/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक 07 जून, 2022 में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
उप सचिव।

संख्या-60/2022/1189(1)/छप्पन-2022-56-1099-189-2019, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- उप महालेखाकार ई0एस0।।।, आडिट भवन, टी0सी0-35-वी-।, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/आगरा।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7 ।
5- निदेशक, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग एयरपोर्ट, नई दिल्ली-110003.
6- समीक्षा अधिकारी (बजट)/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in